स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 23/01/2014

संख्या 128 (18) /विष अधिनियम, 1919 (अधिनियम 1919 का 12) की धारा 2 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट विषों के विक्रय हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह नियमावली **'बिहार विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली, 2014' (BIHAR POISONS POSSESSION AND SALE RULES, 2014)** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। – इस नियमावली में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है विष अधिनियम, 1919;

(ख) 'व्यवहारी' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्तिधारी कोई व्यक्ति;

(ग) 'अनुज्ञापन प्राधिकार' से अभिप्रेत है जिला दंडाधिकारी या अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन, अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, कोई अन्य पदाधिकारी;

(घ) 'अनुज्ञप्तिधारी' से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्ति धारण करनेवाला;

(ङ) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना;

(च) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है इस नियमावली से अनुलग्न प्ररूप;

(छ) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस नियमावली से अनुलग्न अनुसूची;

(ज) 'बिक्रय' से अभिप्रेत है किसी अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी से अन्य को, अथवा किसी अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी से किसी शिक्षण संस्थान या किसी शोध या चिकित्सीय संस्थान या अस्पताल या किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी (निबंधित चिकित्सा व्यवसायी) के अधीन औषधालय को या किसी मान्यता प्राप्त लोक संस्थान या औधोगिक फर्म (जिसे अपने उपयोग हेतु विषों की आवश्यकता हो) को या सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को या व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी व्यक्ति को विक्रय;

(झ) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार; तथा

(ञ) 'विभाग' से अभिप्रेत है राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विष इस नियमावली के प्रयोजनार्थ विष समझे जायेगे।

4. **कब्जा या विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति** – कोई भी व्यक्ति, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन छूट प्राप्त नहीं है, अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा उस निमित प्ररूप 'क' में मंजूर या नवीकृत अनुज्ञप्ति के सिवाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विष का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय हेतु कब्जा नहीं रखेगा।

5. **नियमावली का परिसर पर प्रदर्शन**– इस नियमावली की एक प्रति, नियम–4 के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कारबार स्थल के प्रमुख स्थान में, हमेशा प्रदर्शित की जायेगी।

6. **अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण हेतु आवदेन** – (1) अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकार को प्ररूप 'ख' में लिखित आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन पर दस रूपये मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगेगा तथा :

परन्तु अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु कोई आवेदन अनुज्ञप्ति के अवसान की तिथि के तीन माह से कम पूर्व दिया जाता है तो उस पर पाँच सौ रूपये मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगेगा।

(2) मूल अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए लिखित आवेदन किया जायेगा और इस पर पाँच सौ रूपये मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगेगा।

(3) अनुज्ञप्ति धारी के कारबार स्थल में किसी प्रकार के परिवर्तन के मामले में, अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञापन प्राधिकार को एक नया आवेदन किया जायेगा और ऐसे आवेदन पर पाँच सौ रूपये मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगेगा।

(4) अनुज्ञप्ति धारी कारबार स्थल में अनुज्ञप्ति को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

7. **अनुज्ञप्ति की कालावधि।** – नियम–8 एवं 9 के उपबंधो के अध्यधीन, इस नियमावली के अधीन मंजूर या नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तारीख से पाँच वर्षों तक प्रवृत रहेगा।

8. **अनुज्ञापन प्राधिकार का विवेकाधिकार।** – कोई अनुज्ञप्ति किसी भी समय रद्द या प्रतिसंहृत की जा सकेगी। किसी अनुज्ञप्ति की मंजूरी/नवीकरण/रद्द किया जाना/प्रतिसंहृत किया जाना अनुज्ञापन प्राधिकार के विवेकाधीन होगा।

परन्तु यह कि अनुपालन प्राधिकार की जानेवाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध, कारण (यदि कोई हो) बताने का अवसर संबंधित पक्षकार को देगा और अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण से इनकार करने अथवा अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने या प्रतिसंहृत किये जाने का कारण लिखित रूप में अभिलेखित करेगा :—

परन्तु और भी कि किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक या कोई अनुज्ञप्ति धारी, जिसकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नामंजूर कर दिया गया हो या रद्द/प्रतिसंहृत कर दिया गया है, यदि अनुज्ञापन प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित होता हो तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा।

9. **अनुज्ञप्ति की समाप्ति।** — कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने या उसके कारबार के अन्तरित हो जाने पर, अथवा यदि किसी फर्म या कम्पनी को मंजूर की गयी हो तो उसके परिसमापन या ऐसे फर्म या कम्पनी के कारबार के अंतरित हो जाने पर, समाप्त हो जायेगी।

परन्तु यदि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी फर्म या कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा कारबार चालू समुत्थान के रूप में अंतरित होता है और अनुज्ञप्तिधारी नयी अनुज्ञप्ति के लिए, अंतरण के चौदह दिनों के भीतर एक सौ रूपये मूल्य के न्यायालय फीस स्टाम्प के साथ, आवेदन करता है तो विधमान अनुज्ञप्ति तबतक लागू रहेगी जबतक अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा नई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं हो जाती या नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन को नामंजूर नहीं कर दिया जाता।

10. **अनुज्ञप्ति की समाप्ति, प्रतिसंहरण या रद्द किये जाने पर स्टाक का व्ययन।** — नियम 8 के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या रद्द किये जाने की स्थिति में या नियम 9 के अधीन अनुज्ञप्ति की

समाप्ति की स्थिति में अनुज्ञप्ति की ऐसी समाप्ति, प्रतिसंहरण या रद्द किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विष स्टाक दूसरे किसी अनुज्ञप्तिधारी को बेचा जा सकेगा, जिसके पश्चात बचे हुए विष अनुज्ञापन प्राधिकार के आदेशों के अधीन, नष्ट किये जा सकेंगे। नियम 9 में निर्दिष्ट मामले में विक्रय आगम, यदि कोई हो, यथास्थिति मृत अनुज्ञप्तिधारी के विधिक प्रतिनिधि या उसके अंतरिती या परिसमापित फर्म या कम्पनी के परिसमापक या अंतरिती फर्म या कम्पनी को दिया जायेगा।

11. **विष एवं रजिस्टरो के निरीक्षण की शक्ति।** – कोई कार्यपालक दंडाधिकारी अथवा कोई अवर निरीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति का पुलिस अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई चिकित्सा अधिकारी अथवा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 (केंद्रीय अधिनियम 23, 1940) की धारा–21 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक, किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी के परिसर, जहाँ विक्रय के लिए विष रखा गया हो, का और उसमें पाये गये सभी विषों एवं रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा।

12. **अनुज्ञप्ति किसे प्रदत्त की जायेगी।**– (1) अनुज्ञप्ति किसी ऐसे ही व्यक्ति को प्रदत्त की जायेगी जो अनुज्ञापन प्राधिकार की राय में, विषों के कारबार के संचालन में सक्षम हो।

(2) किसी फर्म या कम्पनी को निर्गत अनुज्ञप्ति, सदैव फर्म या कम्पनी के स्वत्वधारी या स्वत्वधारियों या ऐसे स्वत्वधारी या स्वत्वधारियों द्वारा इस निमित नामनिर्देशित किसी उत्तरदायी व्यक्ति या, किसी पब्लिक कम्पनी के मामले में, उसके प्रबंधक के नाम से होगी।

(3) इस तरह दिये गये नाम या नामों को, फर्म या कम्पनी के लिखित आवेदन पर, अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा परिवर्तित या संशोधित किया जा सकेगा और ऐसे आवेदन पर एक सौ रूपये मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगेगा।

13. **विष का विक्रय।** – (1) विष की प्रत्येक बिक्री, यथासाध्य, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा, जहाँ कोई फर्म या कम्पनी अनुज्ञप्तिधारी हो वहाँ उस फर्म या कम्पनी के प्रत्यायित प्रतिनिधि द्वारा या के पर्यवेक्षण में, की जायेगी।

(2) विषों का कब्जा एवं विक्रय के लिए इस नियमावली के अधीन प्रवृत्त अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसर में ही भंडारण एवं विक्रय करेगा।

14. **व्यक्ति, जिन्हें विष की बिक्री की जा सकेगी।** – कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को कोई विष तबतक नहीं बेचेगा, जबतक कि वह व्यक्तिगत रूप से उससे परिचित न हो अथवा अपना पता, या पता दर्शाने वाला कोई दस्तावेज, सहित अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर उसे संतुष्ट न कर दे। किसी प्रकार के विष का विक्रय करने के पूर्व वह क्रेता का नाम, दूरभाष एवं पता या विष के क्रय के प्रयोजन की जानकारी लेना भी सुनिश्चित करेगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति को विष नहीं बेचेगा जो उसे अठारह वर्ष की कम आयु का प्रतीत हो या जो उसे अपने प्राधिकार के पूर्ण कब्जे में प्रतीत न हो।

15. **विष का विक्रय का रजिस्टर।** – (1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें वह, रसायनज्ञ, औषधि विक्रेता या मिश्रक द्वारा किसी अर्हित चिकित्सा या

पशु–चिकित्सा व्यवसायी के चिकित्सीय पर्ची के अनुपालन में नुस्खा बनाने या मिश्रण बनाने हेतु उपयोग वाले से भिन्न, विष के सभी विक्रय की सही–सही प्रविष्टि करेगा। ऐसे विक्रय के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट किये जायेंगे:–

(क) क्रम संख्या,

(ख) विष का नाम,

(ग) विक्रय की मात्रा,

(घ) विक्रय की तारीख,

(ड.) क्रेता का नाम एवं पता, प्रस्तुत किये गये फोटो पहचान–पत्र का क्रमांक और निर्गमन करने वाले प्राधिकार का नाम,

(च) प्रयोजनों जिनके लिए विष के क्रय की आवश्यकता क्रेता द्वारा विवरणित की गयी है,

(छ) क्रेता का हस्ताक्षर (या अंगूठे का निशान यदि निरक्षर हो) या डाक द्वारा क्रय के मामले में पत्र लिखे जाने की तारीख एवं फाइल का संदर्भ जिसमें पत्र की मूल प्रति परिलक्षित रखी गयी है,

(ज) क्रेता की पहचान करने वाले किसी व्यक्ति, यदि कोई हो, का हस्ताक्षर (या अंगूठे का निशान यदि निरक्षर हो), और

(झ) व्यवहारी का हस्ताक्षर ।

(2) रजिस्टर के किसी अलग प्रभाग में वह प्रत्येक विष के लिए अलग स्तम्भों में प्रत्येक विष की दैनिक बिक्री की मात्रा की प्रविष्टि करेगा और ऐसी प्रविष्टियॉ दिन–प्रतिदिन भरी जायेंगी ।